



मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 9294/एनआर-14/लोकपाल-3/2020

भोपाल, दिनांक 16/04/2020

// आदेश //

मध्यप्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 27 (1) के अधीन भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-11011/21/2008-NREGA, दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार मनरेगा लोकपाल के पारिश्रमिक के संबंध में कंडिका क्रमांक 4.1 अनुसार मनरेगा लोकपाल का मानदेय प्रति बैठक राशि रुपये 1000/- एवम् अधिकतम राशि रुपये 20000/- प्रति माह स्वीकृत किया जाता है।

यह आदेश 01 अप्रैल 2020 से प्रभावशील होगा।

(मनोज श्रीवास्तव)


अपर मुख्य सचिव,

म.प्र.शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

तिलिपि,

1. सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
4. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त संभागायुक्त, संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, कार्यालय म.प्र.शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. लोकपाल मनरेगा, अध्यक्ष/सदस्य संभागीय सतर्कता समिति की ओर सूचनार्थ।
11. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
12. मुख्यकार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिला मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
13. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

  
अपर मुख्य सचिव,  
म.प्र.शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग